

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर, जिला-दुर्ग
छत्तीसगढ़-490024 ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक/क्रय/CCMGMCH/2026/ 238

दुर्ग, दिनांक : 30/01/2026

II सीमित निविदा पद्धति से द्वितीय निविदा (Second Quotation) आमंत्रण सूचना II

चन्द्रलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के समस्त विभागों में लगने वाले अति-आवश्यक **INJECTIONS** एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु द्वितीय निविदा (Second Quotation) सीमित निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निविदाकर्ता फर्म निम्नलिखित प्रारूप में निविदा (Quotation) प्रस्तुत कर सकते हैं :-

S.N.	Item Name	Packing Size	Make	Rate	GST	Total Rate (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
01	INJ. BUPRENORPHINE 0.3MG					
02	INJ. TRANEXAMIC ACID 500MG					
03	INJ. PENICILLIN					
04	I.V. DNS 0.9% 500ML					
05	INJ. CALCIUM GLUCONATE 100MG					
06	INJ. DEXMEDETOMIDINE 1ML					
07	INJ. INSULIN GLARGINE 100IU					
08	INJ. TETANUS TOXOID 0.5ML					
09	INJ. ETHAMSYLATE					
10	INJ. HEMOREL A (FACTOR-VIII)					
11	INJ. HYNIDASE 1500IU					
12	INJ. APPAVISC 5ML					
13	INJ.PILOCARPINE					
14	INJ.THIOPIENTONE SODIUM					
15	INJ.NORED 4MG/ML					
16	I/V D 25%					
17	I/V D 50%					
18	INFUSION BALANCE SALT SOLUTION					
19	INJ.CARBOLOSIN					
20	BUPENORPHINE .0.2 MG					
21	INJ.HEPRANE 5000IU					
22	INJ. ETOFYLLINE + THEOPHYLLIN					
23	EYE DRAPE					
24	INJ. PROPOFOL 1%					
25	INJ. N-ACETYL CYSTEINE 200MG/ML					

अतः उपरोक्तानुसार प्रारूप में निविदाकर्ता फर्म निविदा (Quotation) मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। विलंब से प्राप्त निविदा (Quotation) मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
- सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर, जिला-दुर्ग
छत्तीसगढ़-490024 ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

09. सामग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामग्री गुणवत्ता विहित पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।


संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय दुर्ग (छ.ग.)